संख्या-20/2022/4106/30-3-2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2022

विषय- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर में अवशेष/अतिरिक्त कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये लागत आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-221ए/2021-100ए/2015, दिनांक 04-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर द्वारा दर्शाये गये अतिरिक्त कार्यो को कराये जाने के लिए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू० 620.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर का भवन निर्माण-34-वृहत निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोजित की गयी धनराशि रू० 47.13 लाख (रू० सैतालिस लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू० लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू० लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू० लाख में)	अवशेष/अतिरिक्त किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर में अवशेष/अतिरिक्त कार्यो के निर्माण के संबंध में	लोक निर्माण विभाग	620.97	286.92	286.92	47.13 (रू० सैतालिस लाख तेरह हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर का भवन निर्माण-24-बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारी के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2022/4106(1)/30-3-2022,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय,उ०प्र० इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ।
8- संबंधित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in